

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
निदेशक (वित्त) का कार्यालय  
(मुख्य लेखाधिकारी कक्ष के प्रथम अपीलीय सूचना प्राधिकारी)

संख्या: आर.टी.आई/ ए.ए/ डाय. (फाइ.)/ डी.डी.ए/2017/209/अपील/53 दिनांक:- 30/5/17

प्रति,  
श्री विक्रम,  
म. न.151, दूसरी मंज़िल,  
भाई परमानंद कॉलोनी,  
दिल्ली-110009,

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील.


कृपया अपनी ऑन- लाइन अपील रजि. सं. डी.डी.ए. टी वाई/ ए/2017/ 60094 दिनांक 30.04.2017 का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपने आर.टी.आई ऑन- लाइन रजि. सं. डी.डी.ए. टी वाई/ आर/ 2017/50247 दिनांक 23.03.2017 के संदर्भ में प्रथम अपील की है।

इस सम्बंध में उप-मुख्य लेखाधिकारी (मुख्य) - III से पत्र सं. एफ/ (मिस.) आर.टी.आई/ एन.जी.-IV/2016/ डी. डी. ए./ 28 दिनांक 30.05.2017 के द्वारा पैरा अनुसार उत्तर प्राप्त हुआ है, जो पत्र के साथ संलग्न है।

इस पत्र के द्वारा आपकी उपरोक्त अपील का निपटारा किया जाता है।

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील सी.आई.सी, दूसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति मार्ग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को 90 दिनों के भीतर की जा सकती है।

संलग्न: उपरोक्त

  
(राजपाल सिंह)  
निदेशक (वित्त)  
(मुख्य लेखाधिकारी कक्ष के  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी)

निदेशक (वित्त)

कार्य सं. 295

दिनांक 30/5/17

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
उप मुख्य लेखाधिकारी(मुख्य.)-III

No.F.1(Misc.)RTI/NG-IV/2016/DDA/ 28

दिनांक: 30/5/2017

सेवा में,

निदेशक (वित्त),  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,  
मुख्य लेखाधिकारी विंग, दि0वि0प्रा0.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 ऑन लाइन अपील के अंतर्गत  
मांगी गई सूचना/दस्तावेज ।

कृपया उक्त विषय पर अपने पत्र सं. RTI/AA/Dir.(Fin.)DDA/2016-  
17/Appeal/209/D-52, दिनांक 26.05.2017 का अवलोकन करें । इस संबंध में पैरावार  
उत्तर निम्नानुसार है:-

1. ऐसे किसी नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है ।
2. इस शाखा में वेतन अनुपस्थिति विवरण के आधार पर तैयार किया जाता है ।  
यदि किसी कर्मचारी का अनुपस्थिति विवरण नहीं आता है तो उनका वेतन  
रोक दिया जाता है ।
3. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।
4. दि0वि0प्रा0 में विभिन्न स्तर एवं विभिन्न शाखाओं के लिए अधिकारी प्राधिकृत  
किए गए हैं ।
5. इस शाखा द्वारा वेतन रोकने का कोई प्रावधान नहीं है । वेतन रोकने के  
निर्देश या तो संबंधित कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं या  
अनुपस्थिति विवरण न आने के कारण वेतन रोक ~~से~~ दिया जाता है । यदि  
बिना कारण वेतन रोक दिया जाए, तो संबंधित कर्मचारी उससे उच्च स्तर के  
अधिकारी से शिकायत कर सकता है । वेतन माह के अंतिम दिन संबंधित  
कर्मचारी के बैंक अकाउन्ट में भेज दिया जाता है ।

सुभाष चंद्र बोस  
30/05/2017

व० ल० (वित्त) / सलाहकार

उ. तंवर  
30/5/2017  
उप मुख्य लेखाधिकारी(मुख्य.)-III